



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./1609

बिलासपुर, दिनांक 14.07.2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Relocation of villages from Core Area to Mungeli Forest Division., area – 255.300 ha.-regarding.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-818/193 दिनांक 27.01.2020

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी द्वारा अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु कुल क्षेत्र 255.300 हे. मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव (चेक लिस्ट)			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	1-21	संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन क्र	22	पंजीयन क्र. FP/CG/REHAB/42779/2019
3	वन क्षेत्र विवरण	23	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	24	लागू नहीं होता ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	26-27	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	29	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	30-36	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	37-55	संलग्न है ।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	56	लागू नहीं होता ।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	57	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	58	लागू नहीं होता ।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	59-62	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	63	लागू नहीं होता ।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का	64	लागू नहीं होता ।

	विवरण		
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	65	लागू नहीं होता।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय 10% वार्षिक वृद्धि के)	66	लागू नहीं होता।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	67	लागू नहीं होता।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	68	नहीं किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न है।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	69	प्रश्न ही नहीं उठता।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	70	आवश्यकता नहीं है।
21	गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	71-73	लागू नहीं होता।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	74	लागू नहीं होता।
23	रिकलेमेशन प्लान	75	लागू नहीं होता।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	76	लागू नहीं होता।
25	व्यवस्थापन प्लान	77	
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र -III में)	78-90	संलग्न है।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	91	संलग्न है।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	92-105	संलग्न है।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	106-108	
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	109	
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में।	110	
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	111	संलग्न है।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	112	लागू नहीं होता।
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	113-116	संलग्न है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	117	आवश्यकता नहीं है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	118	लागू नहीं होता।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of	119	लागू नहीं होता।

	funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.		
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	120	लागू नहीं होता।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	121	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	122	संबंधित नहीं है।
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र –I में)	—	—
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	—	—
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	—	—
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :—	—	—

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृत के अनुशंसा सहित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./16/10

2020/बिलासपुर, दिनांक 14/07/2020

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व कोनी, बिलासपुर को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर